10/6/25

आज पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम
पैरवी अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है,
प्रार्थना पत्र दावा का भाग होता है, चूंकि मूल
दावा खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र का
कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र
212 [illegible] भी निरस्त कर का निरस्त (समाप्त)
का फैसला किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर (निकमहो) जमावली मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी धौलपुर (राज.)